



प्रेस नोट दिनांक 24.03.2026

थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा गोकशी से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था दो अवैध तमंचा 315 बोर, दो खोखा, दो जिन्दा कारतूस व गौकशी के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचय:-

दिनांक 23.03.2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम मझौआ गंगापुर से सय्यदपुर मार्ग स्थित नहर पटरी के पास पहुँची, जहाँ वांछित अभियुक्त शकील अपने साथियों के साथ गौकशी की तैयारी में था। पुलिस को देखकर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें का0 3773 विपिन के बाएं बाजू को छूते हुए गोली निकल गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में सलीम उर्फ कालिया एवं शकील के पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। मौके से 02 तमंचे (315 बोर), 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व गौकशी के उपकरण बरामद हुए। घटना के दौरान अन्य अभियुक्त आरिफ व महबूब अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। घायल अभियुक्तों व पुलिसकर्मी को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया। उक्त प्रकरण में थाना भोजीपुरा, बरेली पर मु0अ0सं0 178/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूर्व में भी अभियुक्त शकील के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:-

दिनांक 23.03.2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम मझौआ गंगापुर से सय्यदपुर मार्ग स्थित नहर पटरी के पास पहुँची, जहाँ वांछित अभियुक्त शकील अपने साथियों के साथ गौकशी की तैयारी में था। पुलिस को देखकर बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें का0 3773 विपिन के बाएं बाजू को छूते हुए गोली निकल गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में सलीम उर्फ कालिया (उम्र 32 वर्ष) पुत्र बड़े लल्ला नि0- ग्राम भूड़ा थाना भोजीपुरा, बरेली व शकील (उम्र 32 वर्ष) पुत्र वकील उर्फ मूँछ नि0- वार्ड नं० 06 धौरा टांडा थाना भोजीपुरा, बरेली दोनों अभियुक्तों पैरों में गोली लगने से घायल हो गये। मौके से 02 तमंचे (315 बोर), 02 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस व गौकशी के उपकरण बरामद हुए। घायल अभियुक्तों व पुलिसकर्मी को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया। घटना के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर अन्य अभियुक्त आरिफ पुत्र नवाब हुसैन निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा, बरेली व महबूब पुत्र नस्सू खां नि0- ग्राम घंघोरा घंघोरी थाना भोजीपुरा, बरेली मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0 178/26 धारा 109 बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त शकील उर्फ मूँछ के विरुद्ध पूर्व में भी थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व मु0अ0सं0 89/26 धारा 109 बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त शकील का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 321/16 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना भोजीपुरा जिला बरेली
2. मु0अ0सं0 492/24 धारा 384/504/506 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली
3. मु0अ0सं0 51/26 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना भोजीपुरा जिला बरेली
4. मु0अ0सं0 89/26 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस थाना भोजीपुरा जिला बरेली
5. मु0अ0सं0 178/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली

अभियुक्त सलीम उर्फ कालिया का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 379/15 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
2. मु0अ0सं0 191/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
3. मु0अ0सं0 385/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
4. मु0अ0सं0 700/18 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
5. मु0अ0सं0 32/20 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
6. मु0अ0सं0 373/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
7. मु0अ0सं0 412/21 धारा 3/8 सीएस एक्ट व 379/411 भादवि थाना भोजीपुरा, बरेली
8. मु0अ0सं0 413/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
9. मु0अ0सं0 692/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 सीएस एक्ट व 307 भादवि थाना भोजीपुरा, बरेली
10. मु0अ0सं0 842/24 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
11. मु0अ0सं0 32/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली
12. मु0अ0सं0 387/25 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली
13. मु0अ0सं0 178/26 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली।

पूछताछ:-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त शकील ने बताया कि वह अपने साथी सलीम उर्फ कालिया के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसने बताया कि उनके अन्य साथी आरिफ पुत्र नवाब हुसैन निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली तथा महबूब पुत्र नस्सू खां नि0- ग्राम घंघोरा घंघोरी थाना भोजीपुरा, बरेली भी इस गिरोह में शामिल हैं, जो पुलिस कार्रवाई के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे लोग सुनसान स्थानों पर घूम रही गायों को पकड़कर उनका वध करते थे तथा मांस को बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित करते थे। इसके अतिरिक्त, वे देर रात्रि में छोटी-मोटी चोरियां कर भी पैसे जुटाते थे। दिनांक घटना को अभियुक्तगण ग्राम मझौआ गंगापुर से सैय्यदपुर जाने वाले रास्ते पर नहर पटरी के पास स्थित जंगल में गौकशी करने की योजना से जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम के पहुंचने पर वे घबरा गए और गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। और हमे पकड़ लिया गया। अभियुक्तों द्वारा अपने अपराध को स्वीकार किया गया है तथा फरार अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी का विवरण:

1. दो अवैध तमंचे 315 बोर, दो खोखा, दो जिंदा कारतूस
2. गौकशी के उपकरण

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
2. व0उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
4. उ0नि0 श्री मनोज कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
5. उ0नि0 श्री तनवेश कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
6. उ0नि0 श्री गौरव चौधरी, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
7. हे0कां0 1065 संदीप कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
8. कां0 94 विशु, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
9. कां0 341 हिमांशु, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
10. कां0 3705 विनय कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली। (घायल)
11. कां0 3773 विपिन कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
12. कां0 1118 लक्की सिंह, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।